



भाग-द



परिशिष्ट-6
(प्रपत्र-ब) पृष्ठ 4/4)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

विकास प्राधिकरण की अम्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :

श्री सुर्य नारायण चौधरी पुत्र स्व० शिव नारायण चौधरी द्वारा नजूल फी लोल्ड मूखण्ड संख्या 24 (पार्ट) मकान नं०-145/33ए महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद (क्षेत्रफल 305.33 वर्गमीटर) पर निर्मित व्यवसायिक भवन पर दिये गये उपरोक्त प्रमाण-पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अभियन्ता श्री जितेन्द्र मोहन सिंह, सहायक अभियन्ता श्री गानवेन्द्र सिंह तथा मुख्य नगर नियोजक श्री पी०के० सौलंकी द्वारा कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अद्यतन शमन मानचित्र परमित संख्या-88/प्र०अ०-गवन/जोन-1/शमन/2013-14 दिनांक 18.02.2014 के अनुरूप सही पाया गया है। सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, अल्लापुर, इलाहाबाद, अधिसासी अभियन्ता-भूगर्भ जल विभाग खण्ड-यांत्रिक (शिवाई विभाग) इलाहाबाद तथा आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 18.02.2015 के क्रम में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। स्वीकृत मानचित्र में आरोपित किसी भी शर्त का अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में दी गयी अनुज्ञा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :-

- | | |
|--|--|
| 1. अधि०अभि०, मू०ज०वि०खं०-याँ०
प०सं०-723/मू०ज०वि०खं०-याँ०
दिनांक : 28.01.2015 | हस्ताक्षर 
26/02/2015 |
| 2. सहायक निदेशक वि.सु.उ०प्र० शासन
प०सं०-1522/उ०नि०वि०सु०/इ०री०/14-15
दिनांक : 31.01.2015 | पदनाम : जोनल अधिकारी/
प्र०अ०(त०स०-2)
 |
| 3. आर्किटेक्ट का प्रमाण-पत्र। | कार्यालय की मुहर <u>प्रमारी अधिकारी</u>
<u>तकनीकी समिति-2</u>
दिनांक : 26 फरवरी, 2015 |

पत्रांक :-08/प्र०अ०(त०स०-2)/C.C/2014-15

दिनांक : 26/02/2015

